प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00007/2020-2021 दिनांक 02/06/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AZA/00218/2020-2021 पत्रावली संख्या:I-39943 दिनांक:1976-1977

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **आल इण्डिया चिल्ड्रेन केयर एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाइटी, रेलवे स्टेशन आजमगढ़ उ०प्र०, आजमगढ , 276001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1641/1976-77 दिनांक-03/02/1977 को दिनांक-03/02/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है । 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(RAJEEV KUMAR TIWARI)
CD0A2F01B3E54971B41B49DFA4FC676E1F5F7D77
Date: 02/06/2020 11:50:23 AM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-02/06/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 95AD 586691

यह जनरल स्टाम्प पेपर आल इण्डिया
चिल्ड्रेन केयर एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाइटी
जिला आजमगढ़ रजिस्ट्रेशन नं० I-39943
के सं० स्मृति पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उ०प्र० सत्यमेव जयते

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
11/08/20[illegible]

45 10 तारीख 20-08-2020

जि०

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : आल इण्डिया चिल्ड्रेन केयर एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाइटी

2. प्रधान कार्यालय : रेलवे स्टेशन, आजमगढ़, उ0प्र0

3. कार्यक्षेत्र : भारतवर्ष

4. उद्देश्य –

1– वीरगति प्राप्त तथा विकलांग सैनिकों व सैनिक अधिकारियों के बच्चो तथा निराश्रित बालक–बालिकाओं को 12 वीं कक्षा (10+2) तक मुफ्त शिक्षा, आवास तथा संरक्षण की व्यवस्था करना ।

2– अन्य ग्रामीण व शहरी बालक–बालिकाओं की सामान्य शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना करना। हास्टल की व्यवस्था करना। शिक्षक–शिक्षिकाओं हेतु आवास की व्यवस्था करना आदि ।

3 – ग्रामीण तथा शहरी छात्र–छात्राओं के लिए पुस्तकालय, वाचनालय व खेल–कूद की व्यवस्था करना। शैक्षणिक यात्रा की व्यवस्था करना ।

4 – चिकित्सा शिक्षा, डेण्टल शिक्षा, नर्सिंग ट्रेनिंग, पैरामेडिकल शिक्षा,फार्मेसी शिक्षा व सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थानों तथा 500 या उससे अधिक शैया युक्त अस्पताल की स्थापना व संचालन करना ।

5– अन्य महिलाओं हेतु शिक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना ।

6 – विकलांग व अक्षम बालक–बालिकाओं को सामान्य शिक्षा देना और उनके रख–रखाव व व्यावसायिक प्रशिक्षणो की व्यवस्था कर आत्मनिर्भर बनाना ।

7– गॉवों में शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा बालभवन की स्थापना करना ।

P.T.O.

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।

8 – गॉवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के लोगों के लिए रोजगार प्रदान करना तथा उन्हें जागरूक करना,सफाई के बारे में बताना उनके लिए भवन, रोजगार उपकरणों, शौचालय आदि की सुविधा व निर्माण करना ।

9– बाल चिकित्सालय की स्थापना करना जिसमें गरीब व असहाय बच्चों कों निःशुल्क चिकित्सा करना ।

10– श्रमजीवी महिलाओं हेतु हास्टल की व्यवस्था व निर्माण करना ।

11– ओल्ड एज होम की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत असहाय, वृद्ध पुरूष व महिलाओं के लिए आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, उनके पुर्नवासन व अन्तिम संस्कार की व्यवस्था के लिए कार्य करना ।

12– युवा पीढ़ी व छात्रों/छात्राओं तथा अन्य लोगों में मल रहे नशा (ड्रग एब्यूज) की रोकथाम के लिए उपाय करना एवं इसके शिकार हुए लोगों के लिए अस्पताल व पुर्नवासन के लिए कार्यक्रम चलाना तथा मद्य निषेध सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रचार–प्रसार व सेमीनार आदि के कार्यक्रम चलाना ।

13– गॉवों व शहरों में पड़ी बेकार व ऊसर भूमि में वृक्षारोपण कराना, दूषित पर्यावरण की रोकथाम के लिए लोगों में जागृति पैदा करना तथा पर्यावरण के अन्य कार्यक्रमों कों सुचारू रूप से संचालित करना तथा सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना व कार्यक्रम लागू करना ।

14– देश की बढ़ी आबादी को कम करने व लोगों को जागृत करने के लिए परिवार कल्याण केन्द्र की स्थापना, मेडिकल कालेज व अस्पताल के माध्यम से लाभान्वित करना । मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करना तथा इसके सम्बन्ध में सेमिनार , वर्कशाप व प्रशिक्षण आदि का आयोजन व संचालन करना ।

P.T.O.

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।

15– राष्ट्रीय एकता के बारें में लोगों को जागतृ करना, सेमिनार, सभाओं व अन्य जो भी उपयुक्त कार्यक्रम हो, का संचालन करना तथा एकता को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करना तथा शिविर लगाना आदि ।

16– गाँवों व शहरों की मलिन बस्तियों मे सफाई आदि लोगों को जागृत व प्रेरित करना तथा सम्बन्धित स्वच्छता कार्यक्रमों को संचालित करना ।

17– राष्ट्र हित में उन कार्यक्रमों को संचालित करना जिसके लिए वाह्य देशों से प्रोत्साहन अनुदान तथा सहायता रूप में धन व वस्तु प्राप्त होती है ।

18– ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विज्ञान व प्राविधिक उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु कार्यक्रम संचालित करना ।

19– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों व युवाओं में आपसी सांस्कृतिक व समाजिक आदान–प्रदान व उनके विकास हेतु उन्हें विदेश भेजना व विदेशियों को आमंत्रित करना, युवा हास्टल का निर्माण करना। सेमिनार आदि की व्यवस्था करना ।

20 – अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु हर प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण व रोजगारपरक संस्थाओं, कार्यक्रमों व कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था व संचालन करना ।

21– देश की वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों का संचालन करना जो राष्ट्रहित में हो तथा समाजोत्थान, गरीबी निवारण व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी हो।

22– शोध संस्थान की स्थापना करना। जिसमें फार्मेसी, कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों तथा अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में शोध करना व उसका जरनल प्रकाशित करना ।

23– विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।

दिनांक :

ह0पदाधिकारी / सदस्य

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : आलइण्डिया चिल्ड्रेन केयर एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेट सोसाइटी

2. प्रधान कार्यालय : रेलवे स्टेशन, आजमगढ़, उ0प्र0

3. कार्यक्षेत्र : भारतवर्ष

4. <u>प्रबन्ध एवं नियंत्रण</u>

समिति एवं उसके संस्थाओं का नियंत्रण एक प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उप–प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा 9 साधारण सदस्य होगें इसके अतिरिक्त एक संरक्षक भी होगा ।

5. <u>प्रबन्धकारिणी समिति का गठन</u>

इस समिति में निम्न प्रकार से पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या 15 होगी जो कम या अधिक नहीं होगी।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	वरिष्ठउपाध्यक्ष	एक
3.	कनिष्ठउपाध्यक्ष	एक
4.	प्रबन्धक	एक
5.	उप प्रबन्धक	एक
6.	कोषाध्यक्ष	एक
7.	सदस्य	नौ

6. <u>प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव</u>–

अ– प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ही अपनी बैठक में जो इसी उद्देश्य के लिए बुलायी गयी हो, किया जायेगा । उनका कार्य काल सामान्यतः पाँच वर्ष का होगा परन्तु किन्हीं कारणों से चुनाव न होने की दशा में प्रबन्धकारिणी समिति नया चुनाव होने तक साधिकार कार्य करती रहेगी।

ब–सोसाइटी के अन्तर्गत संचालित सभी संस्थाओं की अलग–अलग प्रबन्ध समितियाँ होंगी जो सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा नामित होगी। सोसाइटी का प्रबन्धक अथवा उप प्रबन्धक ही इनका भी प्रबन्धक होगा और शासन द्वारा निर्देशित/नामित व्यक्ति ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे । इन समितियों द्वारा लिये गये निर्णय सोसाइटी की प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगें।

PTO

कृष्णमोहन तिवारी

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
23/7/2020

7. **प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य एवंअधिकार–**

(क) शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना ।

(ख) संस्थाओं के लिए धन एकत्र करना ।

(ग) प्रबन्धक की संस्तुति पर किसी बैंक या व्यक्तिगत ऋणदाता से ऋण लिए जाने हेतु संस्था की अचल सम्पत्ति को उसके पक्ष में बन्धक रखना ।

(घ) सोसाइटी के वार्षिक लेखा रिपोर्ट आय–व्ययक को पास करना तथा साधारण सभा की जानकारी के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत करना ।

(ड) मृत्यु, त्याग पत्र या पदच्युत द्वारा हुई आकस्मिक रिक्तियों को मनोनयन द्वारा अवशेष काल के लिए भरना।

(च) संस्था/संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निलंबन करना, सेवा मुक्त करना, अवकाश स्वीकार करना तथा उनके कल्याण सम्बन्धी कार्य करना ।

(छ) नियमावली में संशोधन हेतु सिफारिश करना ।

(ज) संस्था/संस्थाओं के कार्यकलाप की देखभाल करना व नियंत्रण करना ।

(झ) संपरीक्षा टिप्पणी वार्षिकप्रगतिविवरणपरविचारकरना ।

(ट) नियमानुसार सम्बन्धित संस्थाओं के विकास हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धकारिणी समिति अपने उत्तर दायित्व पर संस्था की सम्पत्ति को बन्धक रख कर बैंकों/वित्तीय संस्थानों /विदेशों से ऋण प्राप्तकरना व उसका समय से भुगतानकरना ।

(ठ) स्वास्थ्य, तकनीकी एवं सामाजिक कार्यो के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना। अस्पताल की स्थापना व संबंधित कार्य करना ।

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापनाकरना ।

(ढ) संस्था के लिए जमीन का क्रय व पट्टे पर लेना तथा उस पर निर्माण, खेल–कूद का मैदान आदि की व्यवस्था करना ।

(ण) संस्था व जनहित में रिसर्च सेण्टर की स्थापना करना ।

(त) संस्था के सभी उद्देश्यों के नियमतः पालन करना व समुचित कार्यवाही करना है ।

8. **संरक्षक की नियुक्ति व उसके अधिकार तथा कर्तव्य–**

संस्था का संरक्षक प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी के गठन के बाद प्रबन्धकारिणी द्वारा मनोनीत किया जायेगा । संरक्षक का अधिकार अपनी देख–रेख में निष्पक्ष प्रबन्धकारिणी का चुनाव कराना है । इन्हें मत देने का या किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु ये संस्था के सबसे आदरणीय होगें ।

P.T.O.

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़

9. अध्यक्ष के अधिकार एवंकर्तव्य–

(क) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ख) प्रबन्धक को समय समय पर अपेक्षित सलाह व निर्देश देना ।

10. उपाध्यक्ष के कर्तव्य एवंअधिकार–

(क) अध्यक्ष के अपने कर्तव्य पालन में सहायता देना, उनकी अनुपस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति तथा साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

(ख) अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो के अनुसार कार्य करना ।

11. प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य–

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।
2. संस्था/संस्थाओं के लिए धन एकत्र करना तथा संस्था के विकास हेतु आवश्यक आवश्यता पड़ने पर ऋण प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध समिति से संस्तुति करना तथा ऋण प्रपत्रों का निष्पादित करना एवं संस्था की सुरक्षा सम्पत्ति को ऋणदाता के पक्ष मे बन्धक रखना ।
3. वार्षिक बैलेन्सशीट, रिपोर्ट तथाआय–व्यय का तैयारकरना एवं संपरीक्षा की समस्त आपत्तियों का निराकरण करना।
4. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठकों को बुलाना और उनकी कार्यवाहियों के अभिलेखों को सुरक्षित करना।
5. उप प्रबन्धक को अपने ऐसे अधिकारों को समर्पित करना जिसे वह किसी समय के लिए आवश्यक समझता हो।
6. उप प्रबन्धक को अपनी अनुपस्थिति में अपनें ओर से कार्य के लिए अधिकृत करना ।
7. प्रबन्धक द्वारा किसीं भी संवैधानिक/मान्यता प्राप्त बैंको में संस्थाओं के खाते खोले जायेगें तथा प्रबन्ध समिति के किसी एक सदस्य के साथ संयुक्त रूप से उसे आपरेट किया जायेगा ।
8. संस्था/संस्थाओं के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन व अन्य देय स्वीकृत करना ।
9. संस्था/संस्थाओं की ओर से किये गये सभी कान्ट्रैक्ट आदि के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना ।
10. संस्था/संस्थाओं के सभीअर्थव्यवस्था (फाइनान्स) कोनियंत्रित करना ।

P.T.O.

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।

11. संस्थाओं से सम्बन्धित कानूनी मामलों में संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना ।

12. संस्था/संस्थाओं के किसी कर्मचारी को जाँच की अवधि तक निलंबित करना। जाँच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना । गंभीर मामला में कर्मचारी को तुरन्त सेवा मुक्त कर समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।

13. संस्था/संस्थाओं के लिए स्वीकृत प्रत्येक अनुदान, चंदा तथा दान को प्राप्त करना तथा तत्सम्बन्धी रसीद निर्गत करना ।

14. संस्थाओं पर सभी प्रकार का नियंत्रण रखना एवं संस्थाहित में स्वतंत्र उचित निर्णय लेना ।

15. संस्था के हित व विकास हेतु किसी भी संस्था/बैंक/व्यक्ति आदि से ऋण लेना उसका भुगतान करना तथा किसी भी बैंक में खाता खोलना व उसे आपरेट करना ।

16 संस्था/संस्थाओं के लिए जमीन क्रय करना व पट्टे पर लेना। जमीन को संस्था के प्रयोग में लाना व आवश्यकता पड़ने पर बैंक/वित्तीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त करने हेतु बन्धक रखना तथा कर्ज अदा कर संस्था की जमीन को अवमुक्त कराना ।

17. संस्था में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका अदा करना है ।

12. <u>उप, प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य–</u>

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

13. <u>कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

प्रबन्धक द्वारा प्रदत्त समस्त धनराशि का लेखा–जोखा रखना तथा उसे आवश्यकतानुसार संप्रेक्षण हेतु प्रबन्धक के निर्देशानुसार तैयार करना ।

14. <u>प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें एवं कोरम–</u>

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें प्रबन्धक द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगी जिसकी सूचना सभी सदस्यों को 15 दिन पूर्व में दी जायेगी । आपात स्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर भी बैठक प्रबन्धक द्वारा बुलायी जा सकेगी । प्रबन्धक की बिना उपस्थिति कोई भी बैठक मान्य नहीं होगी। बैठक का कोरमप्रबन्ध समिति के सदस्यों का 80 प्रतिशत होगा ।

15. <u>साधारण सभा के निम्नलिखित सदस्य होगें–</u>

1. जो व्यक्ति शिक्षित हो, संस्था के कार्यो में रूचि रखता होत था बराबर आवश्यकतानुसार समय दे सकता हो ।

P.T.O.

कृष्ण मोहन त्रिपाठी

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

2. कोई भी व्यक्ति जो दस लाख रूपया या उससे अधिक संस्था को एक साथ सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह आजीवन सदस्य रहेगा ।

3. जो व्यक्ति एक लाख रूपया एक साथ देगा व साधारण सदस्य कहलायेगा उसका कार्यकाल एक वर्ष होगा प्रबन्धक के हस्ताक्षर व माध्यम से जमा किया गया शुल्क ही मान्य होगा ।

4. साधारण सभा की बैठको में भाग लेने व वोट देने का अधिकार उन्ही सदस्यों का होगा जो साधारण सभा के उक्त बैठक के तीन वर्ष पूर्व से अनवरत सदस्य रहे होगें ।

5. उपरोक्त प्राविधान 1 से 4 तक के होते हुए कोई भी व्यक्ति तब तक साधारण सभा का सदस्य नहीं हो सकेगा जब तक प्रबन्धकारिणी समिति अपनी बैठकमें 2/3 बहुमत से एवंप्रबन्धक की स्वीकर्षतिप्रदान नही कर देती ।

16. <u>साधारण सभा के निम्नलिखित सदस्य नहीं होगें–</u>

1. कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो ।
2. कोई व्यक्ति जो विक्षिप्त अथवा मानसिक रोगी हो ।
3. जो व्यक्ति प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से हटा दिया गया हो
4. मृत्यु तथा त्यागपत्र ।

17. <u>मतदान–</u>

प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जायेगा मत विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष कों कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा। मतदान संस्था के संरक्षक की देख–रेख में होगा ।

17. <u>मतदान–</u>

प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जायेगा मत विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष कों कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा। मतदान संस्था के संरक्षक की देख–रेख में होगा।

P.T.O.

कृष्ण मोहन त्रिपाठी

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
25/11/2016

18. साधारण सभा के कार्य, बैठकें तथा कोरम–

यह सभा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करेगी । इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी । इसके सदस्यों की संपूर्ण संख्या का 2/3 बैठक के लिए कोरम होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे इसकी बैठक में उपाध्यक्ष तथा प्रबन्धक की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

19. रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्ध कारिणी समिति के रिक्त पदों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्य में से समिति के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुनाव किया जायेगा । चुनाव न हो पाने तक प्रबन्धक द्वारा मनोनीत व अध्यक्ष की सहमति से सदस्य नामित किया जा सकेगा ।

20..ऑडिट–

समिति के आय–व्यय का ऑडिट किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कराया जायेगा ।

21. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तयदायित्व :

अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखें जा सकेंगे।

22. संस्था के अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. सूचना रजिस्टर
5. कैश बुक आदि।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उ०प्र० आजमगढ़ क्षेत्र

23.संशोधन–

प्रबन्धक की सिफारिश के आधार पर सोसाइटी के नियमावली में संशोधन के नियमानुसार साधारण सभा की विशेष बैठक प्रबन्धक द्वारा बुलायी जायेगी और उसमें 2/3 बहुमत से संशोधन स्वीकृत होगा।

24. विघटन–

समिति का विघटन होने पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

P.T.O.

कृष्णमोहन त्रिपाठी

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
23/01/2020

25. संशोधन–सन् 1993 (अतिरिक्त नियमों का समावेश)

निम्नलिखित नियमों का समावेश सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जा भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
9. उपरोक्त नियम / प्रतिबन्ध (क्रम संख्या 1 से 8 तक) में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन नही किया जायेगा ।

हस्ताक्षर

कृष्णमोहन त्रिपाठी

Bimlesh Bihari ...

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़
23/01/2020